



दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHIN/2018/76480

Postal Registration No-055/Raigarh DN CG

रायगढ़, बुधवार 27 नवंबर 2024

पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए

वर्ष-07, अंक- 59

कोहरे के चलते थमे ट्रेनों के चक्के, 30 से ज्यादा गाड़ियां रद्द



नई दिल्ली (आरएनएस)। सर्दियों की शुरुआत होते ही उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में कोहरा छाने लगाता है। जिसका सबसे ज्यादा असर ट्रेनों पर देखने को मिलता है। क्योंकि कोहरे के चलते रेलवे को हर दिन तमाम ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ता है। यही नहीं जिन ट्रेनों का संचालन होता वह ट्रेनों भी अपने गंतव्य तक कई-कई घंटों की देरी से पहुंचती है। रेलवे को कोहरे के चलते कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। यही नहीं रेलवे ने आज कई ट्रेनों के संचालन के समय में भी बदलाव किया है जबकि कुछ ट्रेनों को दूसरे रूट पर डायवर्ट किया गया है। ऐसे में अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस चेक कर लें। उसके बाद ही घर से स्टेशन के लिए निकलें।

बता दें कि कोहरे का सबसे ज्यादा असर रेलवे के 18 में से चार जोन में देखने को मिल रहा है। इनमें नॉर्थ जोन भी शामिल हो जो दिल्ली, लखनऊ और मुरादाबाद को कवर करती है। कोहरे के चलते कई ट्रेनों की स्पीड भी कम की गई है। इसमें कई ऐसी ट्रेनें भी शामिल हैं।

- गाड़ी संख्या- 12536, रायपुर-लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेस को 26 और 29 नवंबर को कैंसिल किया गया है।
- गाड़ी संख्या- 22867, दुर्ग-निजामुद्दीन एक्सप्रेस को भी 26 और 29 नवंबर को कैंसिल किया गया है।
- गाड़ी संख्या- 22868, निजामुद्दीन-दुर्ग एक्सप्रेस को 27 और 30 नवंबर को रद्द किया गया है।
- ट्रेन नंबर- 05755, चिरमिरी-अनुपपुर पैसंजर स्पेशल ट्रेन 26, 28 और 30 नवंबर को रद्द रहेगी।
- गाड़ी संख्या- 06617, कटनी-चिरमिरी मेमू स्पेशल को 23 और 30 नवंबर को कैंसिल किया गया है।
- ट्रेन नंबर- 06618, चिरमिरी-कटनी मेमू स्पेशल 24 नवंबर से 01 दिसंबर के बीच रद्द रहेगी।

- गाड़ी संख्या- 18234, बिलासपुर-इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस को 23 से 30 नवंबर तक के लिए कैंसिल किया गया है।
- ट्रेन नंबर- 18233, इंदौर-बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस को 23 नवंबर से 1 दिसंबर तक कैंसिल किया गया है।
- गाड़ी नंबर- 18236, बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस को 23 से 30 नवंबर के बीच कैंसिल किया गया है।
- गाड़ी संख्या- 18235, भोपाल-बिलासपुर एक्सप्रेस, 23 नवंबर से 02 दिसंबर तक रद्द रहेगी।
- ट्रेन नंबर- 11265, जबलपुर-अम्बिकापुर एक्सप्रेस 23 से 30 नवंबर की बीच कैंसिल रहेगी।
- गाड़ी संख्या- 11266, अम्बिकापुर-जबलपुर एक्सप्रेस को 24 नवंबर से 01 दिसंबर की बीच रद्द किया गया है।
- ट्रेन नंबर-18247, बिलासपुर-रीवा एक्सप्रेस 23 से 30 नवंबर तक रद्द रहेगी।
- वहीं ट्रेन संख्या- 18248, रीवा-बिलासपुर एक्सप्रेस 23 नवंबर से 01 दिसंबर तक कैंसिल रहेगी।

संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ पर देश की प्राचीन भाषा मैथिली और संस्कृत में संविधान की प्रति प्रकाशित

आठवीं अनुसूची में शामिल बिहार की एकमात्र भाषा में भी संविधान की अनुवादित प्रति बिहारवासियों के लिए गौरव का विषय: संजय झा

रूडी ने प्राचीन लोकप्रिय भाषा में संविधान की अनुवादित प्रति का प्रकाशन स्तुत्य व प्रशंसनीय बताया

संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस के मौके पर विशेष आयोजन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित सभी दलों के सांसद मौजूद रहे

राहुल राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खट्टे सहित सभी दलों के सांसद मौजूद रहे



नई दिल्ली | आरएनएस

संविधान दिवस समस्त देशवासियों के लिए गौरवपूर्ण तिथि है, तथापि संविधान दिवस के 75वें वर्ष के अवसर पर बिहारवासियों को विशेष गर्व की अनुभूति हो रही है। कारण यह है कि संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में संविधान की प्रति का मैथिली अनुवाद लोकार्पित किया गया

संविधान दिवस के अवसर पर संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित विशेष कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद संयुक्त रूप से मीडिया से बात करते हुए सारण सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी और जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद संजय झा ने उक्त बातें कहे हुए आगे कहा कि इसके साथ ही संसार की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत में भी अनुवादित संविधान की प्रति

लोकार्पित हुई। विदित हो कि संविधान निर्माण के 75 साल पूरे होने पर देशभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान संसद के सेंट्रल हॉल में भी संविधान दिवस के मौके पर विशेष आयोजन किया गया। विशेष आयोजन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों सदनों के स्पीकर, और नेता विपक्ष राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खट्टे सहित सभी दलों के सांसद मौजूद रहे।

जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष सह संजय झा ने इस संदर्भ में कहा कि मैथिली संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल है जिसके कारण इस राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। पहली बार संविधान को अंगीकृत होने के

75 साल बीत गए, परंतु संस्कृत में या मैथिली में संविधान की मूल प्रति का अनुवाद पुस्तकाकार में प्रस्तुत नहीं किया गया था। पहली बार बिहारवासियों को मैथिली में संविधान की प्रति प्राप्त होगी। बिहार के पूर्व जनप्रतिनिधियों के प्रयास थे जहाँ मैथिली को आठवीं अनुसूची में जगह मिली, वहीं यह सबके परिश्रम और विकास का फल है कि बिहार की एकमात्र भाषा आठवीं अनुसूची में है जिसमें संविधान की अनुवादित प्रति उपलब्ध हो गई है। तीन करोड़ से अधिक की आबादी मैथिली बोलती है, जानती-समझती और लिखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का यह प्रयास विशेष सराहनीय है जिनके प्रयास से संविधान की प्रति मैथिली में अब उपलब्ध हो रही है।

सारण सांसद सह पूर्व केंद्री मंत्री

रूडी ने कहा कि संस्कृत, भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। हमारे सभी प्राचीन ग्रंथ, धर्मग्रंथ और नीति के ग्रंथ संस्कृत में ही उपलब्ध हैं। उनकी रचना इसी भाषा में की गई। भारत के संविधान में या कई संवैधानिक संस्थाओं के सूत्र वाक्य पहले से ही संस्कृत में हैं। और संस्कृत की महत्ता को देखते हुए संविधान दिवस के 75वें वर्ष में इस अति प्राचीन लोकप्रिय भाषा में संविधान की अनुवादित प्रति का प्रकाशन स्तुत्य व प्रशंसनीय है। इसके लिए समस्त देशवासी और संस्कृत प्रेमी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार की भूरी-भूरी प्रशंसा कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संस्कृत और मैथिली में संविधान की अनुवादित प्रति हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का प्रतीक है।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव सुधार और धार्मिक समानता पर याचिका खारिज की

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रसिद्ध वैश्विक शांति कार्यकर्ता और प्रजा शांति पार्टी के संस्थापक डॉ. के.ए. पॉल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी जमावट याचिका खारिज किए जाने पर गहरी निराशा व्यक्त की। यह याचिका चुनावी प्रक्रिया, धार्मिक प्रशासन और भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को लेकर सुधार की मांग कर रही थी। डॉ. पॉल ने इस याचिका पर खुद बहस की, लेकिन कोर्ट ने इसे कुछ ही मिनटों में खारिज कर दिया और सुनवाई का पूरा अवसर नहीं दिया। याचिका की प्रमुख मांगों-: 1. *चुनावी सुधार:* डॉ. पॉल ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के स्थान पर मतपत्र (बैलट पेपर) के उपयोग की मांग की। उन्होंने कहा, दुनिया के 197 में से 180 देश, जिनमें 50 यूरोपीय देश और अमेरिका भी शामिल हैं, मतपत्र से चुनाव कराते हैं। फिर भारत ईवीएम पर क्यों निर्भर है, जो छेड़छाड़ योग्य है? उन्होंने इस संदर्भ में एलन मस्क, वाईएस जगन मोहन रेड्डी

और चंद्रबाबू नायडू द्वारा ईवीएम पर उठाए गए सवाल को भी जिक्र किया।

2. *धार्मिक प्रशासन में सुधार:* डॉ. पॉल ने मांग की कि तिरुपति बालाजी मंदिर जैसे हिंदू मंदिरों का प्रबंधन हिंदू पुजारियों को सौंपा जाए, जैसे चर्च का संचालन पादरी और मस्जिद का संचालन मौलवी करते हैं। उन्होंने तिरुपति बालाजी मंदिर की अनुमानित संपत्ति 74 लाख करोड़ बताई और आरोप लगाया कि मंदिर प्रशासन और धन का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। 3. *विधायकों की दलबदल पर कार्रवाई:-* डॉ. पॉल ने निर्वाचित विधायकों द्वारा दलबदल पर चिंता जताई और 10वीं अनुसूची के तहत दलबदल विरोधी कानून के सख्त पालन की मांग की। उन्होंने तेलंगाना में कई विधायकों के व्यक्तिगत लाभ के लिए दल बदलने के मामलों को उजागर किया। डॉ. पॉल ने अपनी याचिका खारिज किए जाने पर आश्चर्य और नाराजगी व्यक्त की।

केंद्र सरकार ने 1,435 करोड़ रुपए की लागत वाली पैन 2.0 परियोजना को दी मंजूरी

नई दिल्ली | आरएनएस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के लिए 1,435 करोड़ रुपये का खर्च तय किया गया है।

पैन 2.0 परियोजना का उद्देश्य टैक्सपेयर रजिस्ट्रेशन सर्विस में टेक्नोलॉजी बेस्ड बदलाव लाना है और इसके कई महत्वपूर्ण लाभ हैं। परियोजना के साथ बेहतर गुणवत्ता के साथ आसान पहुंच और सर्विस की तेज डिलिवरी सुनिश्चित होगी। इसके अलावा, यह डेटा और सत्यापन का सिंगल सोर्स होगा। यह परियोजना पैन कार्ड के इको-फ्रेंडली प्रॉसेस और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के साथ सिंक्रोटी को लेकर



महत्वपूर्ण है।

कैबिनेट विज्ञप्ति के अनुसार, यह टैक्सपेयर रजिस्ट्रेशन सर्विस के बिजनेस प्रॉसेस को दोबारा से तैयार करने के लिए एक ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट है, जो कि पैन और टैन सर्विस के टेक्नोलॉजी-ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य टैक्सपेयर के डिजिटल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना है।

यह मौजूदा पैन/टैन 1.0

इकोसिस्टम का अपग्रेड होगा, जो कि मुख्य और गैर-मुख्य पैन/टैन एक्टिविटीज के साथ-साथ पैन वेरिफिकेशन सर्विस से जुड़ा होगा।

सीसीईए ने आगे कहा कि पैन 2.0 परियोजना सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल सिस्टम के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में पैन के इस्तेमाल को आसान बनाना है, जो कि सरकार के डिजिटल इंडिया विजन को लेकर महत्वपूर्ण है।

इस बीच, आयकर विभाग को चालू वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय बजट में निर्धारित 22.07 लाख करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य को पार करने की उम्मीद है।

सीबीडीटी के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के दौरान 1 अप्रैल से 10 नवंबर तक भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह, जिसमें कॉर्पोरेट कर और व्यक्तिगत आयकर शामिल हैं, 15.4 प्रतिशत बढ़कर 12.1 लाख करोड़ रुपये हो गया।

चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार ने 22.07 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 10.20 लाख करोड़ रुपये कॉर्पोरेट कर से और 11.87 लाख करोड़ रुपये व्यक्तिगत आयकर, गैर-कॉर्पोरेट कर और अन्य करों से जुटाए जाएंगे।

नशे में ट्रक चला रहे खलासी ने सो रहे दर्जनों लोगों को रौंदा, 5 लोगों की मौत, 6 घायल

त्रिशूर | आरएनएस

जिले में मंगलवार को तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां एक ट्रक सड़क किनारे लगे तंबू में घुस गया। तंबू के अंदर कई लोग सो रहे थे, जिनपर ट्रक चढ़ गया। इस हादसे में वहां सो रहे दो बच्चों समेत कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई है, जबकि छह लोग घायल बताए जा रहे हैं।

पुलिस ने बताया कि खानाबदोश लोग वलपड़ पुलिस थाना क्षेत्र के नट्टिका में नेशनल हाइवे के किनारे सो रहे थे। ये सभी लोग तंबू बनाकर उसके अंदर सो रहे थे। इसी बीच तड़के साढ़े चार बजे ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। पुलिस के अनुसार मरने वालों में डेढ़ साल एके चार साल के दो बच्चे और दो महिलाएं शामिल हैं।

पुलिस के मुताबिक बताया कि ट्रक कनूर से लकड़ी लेकर आ रहा था। हादसे के दौरान ट्रक को खलासी चला रहा था, जिसके पास लाइसेंस भी नहीं था। हादसे के समय दोनों नशे



में थे। उन्होंने बताया कि दोनों को हिरासत में ले लिया गया है।

वहीं घटना के बाद त्रिशूर शहर के पुलिस आयुक्त आर इलांगो घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि बीएनएस के गैर-जमानती प्रावधान के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि इस अपराध के लिए 10 साल की सजा का प्रावधान है।

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि स्थानीय लोगों के अनुसार, वाहन तेज गति से आ रहा था और हादसे के बाद चालक और

खलासी ने भागने का प्रयास किया। अधिकारी ने कहा, "स्थानीय लोगों ने दोनों पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।"

वहीं जिलाधिकारी अर्जुन पांडियन ने भी घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि सभी घायलों का त्रिशूर मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। घायलों में से दो की हालत गंभीर है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद शव उनके परिजनों को सौंपे जाएंगे। उन्होंने कहा, "पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।"

वहीं राज्य के राजस्व मंत्री के. राजन ने कहा कि पुलिस और जिलाधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, चालक और खलासी ने गंभीर चूक की। उन्होंने कहा कि उन परिस्थितियों के संबंध में भी जांच की जाएगी जिनके कारण पीड़ितों को सड़क के किनारे सोने के लिए

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत तमाम नेताओं ने 26/11 के शहीदों को दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली | आरएनएस

26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों की 16वीं बरसी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी उन्हें याद करते हुए कहा- मैं उनकी वीरता को सलाम करता हूँ।

राष्ट्रपति मुर्मू ने एक्स पोस्ट में कहा, 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमलों की वर्षगांठ पर मैं पूरे देश के साथ उन बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिन्होंने अपनी जान गंवाई। एक कृतज्ञ राष्ट्र अपने उन बहादुर सुरक्षाकर्मियों को सलाम करता है, जिन्होंने हमारे

लोगों की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। यह इस बात को दोहराने का भी दिन है कि भारत सभी प्रकार के आतंकवाद को हराने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पोस्ट पर लिखा साल 2008 में आतंकियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होने वाले जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और अपना जीवन गंवाने वाले लोगों को नमन करता हूँ। आतंकवाद समूची मानव सभ्यता के लिए कलंक है। आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार

की 'जीरो टॉलेंस' की नीति को पूरे विश्व ने सराहा है और आज भारत आतंक विरोधी पहलों में विश्व में अग्रणी बना है।

वहीं जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को 26/11 हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही संविधान दिवस पर संविधान निर्माताओं के योगदान को याद किया है।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को मेरी श्रद्धांजलि है। हमारे सुरक्षाबलों के बहादुर जवानों और उन व्यक्तियों की वीरता को सलाम करता हूँ, जो मातृभूमि की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के



लिपे बहादुरी से लड़े।

संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर भी उप राज्यपाल ने राय जाहिर की। एक्स पोस्ट पर लिखा, संविधान दिवस की शुभकामनाएं। हमारे संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं सभी से संविधान की पवित्रता को बनाए रखने और सामाजिक न्याय, समानता के सिद्धांतों को और मजबूत करने और समाज की शांति प्रगति के लिए खुद को समर्पित करने की अपील करता हूँ।

26/11 मुंबई हमला, 16 साल पहले 59 घंटों तक दहल गई थी आर्थिक राजधानी

आज से ठीक 16 साल पहले, साल 2008 को मुंबई में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। यह दिन भारत में आतंकवाद के सबसे बड़े हमलों में से एक के रूप में याद किया जाता है, इसे 26/11 के नाम से जानते हैं। इन हमलों में मुंबई को 59 घंटे तक आतंकित किया और इन 59 घंटों में हुई घटनाओं ने पूरे देश को दहला दिया था। दरअसल, 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान के 10 आतंकवादी समुद्र मार्ग से मुंबई में प्रवेश किये। इन आतंकवादियों ने समुद्र के रास्ते मुंबई के प्रमुख स्थलों पर हमला करने की योजना बनाई थी। उन्होंने भीड़-भाड़ वाले इलाकों को अपने निशाने पर रखा था। रात के अंधेरे में यह आतंकवादी नौका के जरिए मुंबई के कोलाबा क्षेत्र के पास ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, सीएसटी रेलवे स्टेशन और नरीमन हाउस में घुस गए थे।

आतंकवादियों ने मुंबई में पहले ताज होटल और ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल पर कब्जा किया, जहां उन्होंने होटल के कर्मचारियों और मेहमानों को बंधक बना लिया। इसके बाद, उन्होंने कोलाबा इलाके के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर अंधाधुंध गोलाबारी शुरू कर दी, जिसमें कई निरदोष मारे गए। इसी दौरान, नरीमन हाउस में भी आतंकवादियों ने घुसकर कई लोगों को बंधक बना लिया। आतंकवादियों के इन हमलों का उद्देश्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर आतंक फैलाना था। आतंकवादियों ने मुंबई में प्रवेश किया और निशाना बनाने के साथ-साथ विदेशी नागरिकों को भी अपना शिकार बना रहे थे।

इसी बीच, मुंबई पुलिस, एनएसजी (नेशनल सिंक्रोटी गार्ड), एनसीटीसी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने एक साथ आकर आतंकवादियों से लोहा लेना शुरू किया। हेमंत करकरे, विजय सात्कर और अशोक कामटे जैसे मुंबई पुलिस के बहादुर जवान इस हमले में शहीद हो गए। एनएसजी की विशेष कमांडो टीम ने होटल और अन्य ठिकानों पर हमलावरों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन में कुल 9 आतंकवादी मारे गए और एक आतंकवादी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया। कसाब को मुंबई पुलिस ने पकड़ने के बाद अदालत में पेश किया और 2012 में उसे फांसी दी गई। आंकड़ों के अनुसार इस हमले में 164 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 300 से अधिक लोग घायल हो गए थे। मारे गए लोगों में भारतीय नागरिकों के अलावा कई विदेशी नागरिक भी थे। इस हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति को और कड़ा किया।